Result Mitra Daily Magazine

इंटरपोल रेड नोटिस

➢ हालिया संदर्भ :

- बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य भगोड़ों को भारत से वापस लाने में इंटरपोल से सहायता लेगी।

➢ इंटरपोल नोटिस :

- यह नोटिस सदस्य देशों द्वारा सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध या अलर्ट है, जो सदस्य देशों की पुलिस को जानकारी साझा करने की अनुमति देते है।
- ऐसे नोटिस को प्रयोग UN, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अपराध करने वाले वांछित व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है।

Result Mitra

➢ नोटिस के प्रकार :

1. **Red Notice :**

- किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या न्यायिक क्षेत्राधिकार द्वारा प्रत्यर्पण के उद्देश्य से वांछित व्यक्ति/अपराधी के स्थान/गिरफ्तारी की मांग करना।

2. **Blue Notice :**

- किसी आपराधिक जांच में रुचि रखने व्यक्ति का पता लगाना, उसकी पहचान करना या उसके बारे में पता लगाना,

3. Green Notice :

- अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है तो उसके आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देना।

4. Yellow Notice :

- स्वयं को पहचानने में असमर्थ व्यक्ति या गुमशुदा व्यक्ति का पता लगाना,

5. Black Notice :

- अज्ञात/लावारिस शवों के बारे में पता लगाना,

6. Orange Notice :

- ऐसे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या प्रक्रिया के बारे में जानकारी/चेतावनी देना, जो किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा हो सकता है।

7. Purple Notice :

- अपराधियों द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली प्रणालियों, उपकरणों या छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी देना।

➢ इंटरपोल UNSC विशेष नोटिस :

- इस नोटिस के द्वारा सदस्य देशों को यह जानकारी दिया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी संस्था या UN के किसी संस्था के प्रतिबंधों के अधीन है।

➢ इंटरपोल रेड नोटिस :

- यह वैश्विक स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से यह अनुरोध करता है कि वे प्रत्यर्पण या कानूनी कार्यवाही लंबित किसी व्यक्ति का पता लगाएं या उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करें।

  Note :– यह अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट मात्र है, गिरफ्तारी वारंट नहीं।

- सदस्य देशों के लिए यह बाध्यकारी नहीं होता है तथा वे संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने संबंधी निर्णय में अपना कानून लागू करते है।

- नोटिस में व्यक्ति की पहचान से संबंधित विभिन्न जानकारियां जैसे – नाम, DOB, राष्ट्रीयता, शारीरिक विशेषताएं, DNA, फिंगरप्रिंट व अन्य बायोमीट्रिक डेटा होती हैं। साथ ही व्यक्ति के अपराध का भी उल्लेख होता है।
- यह नोटिस इंटरपोल द्वारा सदस्य देश के अनुरोध पर जारी किया जाता है, यह तभी जारी किया जाता है, जब सक्षम न्यायालय द्वारा भगोड़े व्यक्ति के खिलाफ आरोप–पत्र का संज्ञान लिया जाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि नोटिस नियमों के अधीन है, प्रत्येक नोटिस की जांच एक स्पेशल फोर्स द्वारा की जाती है।

INTERPOL :

- अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन,
- 1923 में स्थापित,
- अंतर–सरकारी संगठन
- भारत सहित 196 सदस्य देश
- पेरिस में मुख्यालय, सिंगापुर में नवाचार के लिए वैश्विक परिसर एवं कई क्षेत्रीय कार्यालय,
- महासभा शासी निकाय,
- वर्ष में 1 बैठक

Note :– प्रत्येक सदस्य देश में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है, जो संगठन के साथ संपर्क का केंद्रीय बिंदु है। भारत में यह गृह मंत्रालय के अधीन है।

- भारत में CBI को आधिकारिक तौर पर इंटरपोल के साथ संपर्क संस्था के रूप में नामित किया गया है।

TM Result Mitra